कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा

ब्लॉक-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

(फोन - 0771-2636413 फैक्स - 0771-2263412)

(Email - highereducation.cg@gmail.com Website - www.highereducation.cg.gov.in)

क्रमांक 563 / 126 / आउशि / राज.स्था. / 2022 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 08/09/2022

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त शासकीय महाविद्यालय,
छत्तीसगढ़।

विषय :– **शैक्षणिक सत्र 2022–23 में शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त शिक्षकीय पदों (प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक) पर अतिथि व्याख्याताओं से अध्यापन व्यवस्था बाबत्।**

संदर्भ :– 1. उच्च शिक्षा विभाग का आदेश क्रमांक–एफ–3–54 / 2022 / 38–1 दिनांक 29.08.2022 एवं पत्र क्रमांक–एफ–3–54 / 2022 / 38–1 दिनांक 07.09.2022
2. कार्यालयीन पत्र क्रमांक–535 / आउशि / राज.स्था / 2022 दिनांक 29.08.2022

––––00––––

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के अनुक्रम में लेख है कि विभागीय समसंख्यक पत्र क्रमांक–एफ–3–54 / 2022 / 38–1 दिनांक 29.08.2022 द्वारा प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2022–23 रिक्त शिक्षकीय पदों (प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक) पर अतिथि व्याख्याताओं से अध्यापन की व्यवस्था कराये जाने हेतु वित्त विभाग से सहमति के आधार पर अनुमति प्रदान की गई है तथा विभागीय समसंख्यक पत्र क्रमांक–एफ–3–54 / 2022 / 38–1 दिनांक 07.09.2022 द्वारा शासकीय महाविद्यालय में रिक्त शिक्षकीय पदों पर अतिथि व्याख्याताओं के चयन की प्रक्रिया संबंधी पूर्व निर्धारित मापदण्डों की कंडिका–7 में संशोधन किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया पत्र में दिये गये निर्देशों के अनुरूप शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि व्याख्याताओं की व्यवस्था के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय,
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक 564 / 126 / आउशि / राज.स्था. / 2022 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 08/09/2022

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) की ओर संदर्भित पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. अपर संचालक क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर / दुर्ग / बिलासपुर / जगदलपुर / अम्बिकापुर (छ.ग.)।
3. समस्त जिला कोषालय अधिकारी।

................की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर
— — ० — —

क्रमांक एफ 3–54 / 2022 / 38–1

नया रायपुर, दिनांक 07/09 / 2022

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन, नवा रायपुर (छ0ग0)

विषयः— शैक्षणिक सत्र 2022–23 में शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त शिक्षकीय पदों (प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक) पर अतिथि व्याख्याताओं से अध्यापन व्यवस्था बाबत्।

——00——

राज्य शासन एतदद्वारा प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापकों के रिक्त पदों के विरूद्ध, स्वीकृत मापदण्डों एवं दरों पर अतिथि व्याख्याताओं द्वारा अध्यापन की व्यवस्था हेतु गत वर्ष की भांति इस शैक्षणिक सत्र 2022–23 में अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति की सहमति इस विभाग की समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 29.08.2022 द्वारा प्रदान की गई है।

2/ शासकीय महाविद्यालय में रिक्त शिक्षकीय पदों पर अतिथि व्याख्याताओं के चयन की प्रक्रिया संबंधी पूर्व निर्धारित मापदण्डों की कंडिका–7 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:—

कंडिका–7 में पूर्व निर्धारित मापदण्ड			वर्तमान व्यवस्था		
चयन हेतु निर्धारित मापदण्ड			चयन हेतु निर्धारित मापदण्ड		
(एक)	मेरिट लिस्ट बनाने के लिए अधिकतम 100 मेरिट अंक रहेंगे और इसका मापदंड निम्नानुसार होगा:—		(एक)	मेरिट लिस्ट बनाने के लिए अधिकतम 130 मेरिट अंक रहेंगे और इसका मापदंड निम्नानुसार होगा:—	
(क)	पी.एच.डी. तथा नेट/सेट एवं एम.फिल. के लिए	50 मेरिट अंक	(क)	पी.एच.डी. तथा नेट/सेट एवं एम.फिल. के लिए	50 मेरिट अंक
(ख)	पी.एच.डी. के लिए	25 मेरिट अंक	(ख)	पी.एच.डी. के लिए	25 मेरिट अंक
(ग)	नेट/सेट के लिए	20 मेरिट अंक	(ग)	नेट/सेट के लिए	20 मेरिट अंक
(घ)	एम.फिल.	05 मेरिट अंक	(घ)	एम.फिल.	05 मेरिट अंक

निरंतर—2—

(दो)	स्नातकोत्तर स्तर पर प्राप्तांकों के लिए (अधिकतम)– 50 मेरिट अंक (55 के लिए 5 अंक, 56 से 100 प्रत्येक 01 प्रतिशत के लिए 01 अंक दिया जायेगा।)		(दो)	स्नातकोत्तर स्तर पर प्राप्तांकों के लिए (अधिकतम)–50 मेरिट अंक (55 के लिए 5 अंक, 56 से 100 प्रत्येक 01 प्रतिशत के लिए 01 अंक दिया जायेगा।)	
			(तीन)	शासकीय महाविद्यालय में अतिथि व्याख्याता के रूप में अध्यापन अनुभव के लिये (अधिकतम)	30 मेरिट अंक
			(क)	एक शैक्षणिक सत्र में (न्यूनतम 5 माह से कम नहीं)	05 मेरिट अंक

3/ जिन महाविद्यालयों में विगत सत्रों में कार्यरत रह चुके अतिथि व्याख्याताओं के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा कोई निर्देश दिया गया है, उन अतिथि व्याख्याताओं की व्यवस्था माननीय उच्च न्यायालय, बिलापुर द्वारा दिये गये निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित करते हुये न्यायालय निर्देशों के अधीन की जाये।

4/ कृपया अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति के संबंध में उपरोक्त व्यवस्था का पालन करना सुनिश्चत किया जावे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आर.ए.निर्मलकर)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ. क्रमांक एफ 3–54/2022/38–1 नया रायपुर, दिनांक07/09/2022

प्रतिलिपि :–

01 महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर,
02 आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर, छत्तीसगढ़,
03 समस्त संभागीय आयुक्त, (छ.ग.)
04 समस्त कलेक्टर, जिला ....
05 क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा बिलासपुर/अंबिकापुर/जगदलपुर/रायपुर/दुर्ग (छ.ग.)

निरन्तर —3—

latter 2021

06 विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,

07 समस्त प्राचार्य, ...

08 समस्त जिला कोषालय अधिकारी, ...

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

09 आदेश फोल्डर।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर
— — ० — —

क्रमांक एफ 3–54 / 2022 / 38–1 नया रायपुर, दिनांक 29/ 08 / 2022

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन, नवा रायपुर (छ0ग0)

विषयः– शैक्षणिक सत्र 2022–23 में शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त शिक्षकीय पदों (प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक) पर अतिथि व्याख्याताओं से अध्यापन व्यवस्था बाबत्।

––00––

राज्य शासन एतद्द्वारा प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापकों के रिक्त पदों के विरूद्ध, स्वीकृत मापदण्डों एवं दरों पर अतिथि व्याखताओं द्वारा अध्यापन की व्यवस्था हेतु गत वर्ष की भांती इस शैक्षणिक सत्र 2022–23 में अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति की सहमति प्रदान करता है।

2/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्र. एफ 2022–38–00266 दिनांक 25.08.2022 द्वारा दी गई सहमति के आधार पर जारी की गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आर.एस. निर्मलकर)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ. क्रमांक एफ 3–54 / 2022 / 38–1 नया रायपुर, दिनांक 29/ 08 / 2022

प्रतिलिपि :–

01 सचिव, मुख्यमंत्री, छ.ग. मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर अटल नगर,
02 सचिव, छ.ग. शासन वित्त विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर, अटल नगर की ओर कम्प्यूटर एफ – 2022–38–00266 दिनांक 25.08.2022
03 महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर,
04 आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर, छत्तीसगढ़।
05 समस्त संभागीय आयुक्त, (छ.ग.)

निरन्तर ––2––

06 समस्त कलेक्टर, जिला ....
07 क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा बिलासपुर/अंबिकापुर/जगदलपुर/रायपुर/दुर्ग (छ.ग.)
08 विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
09 संबंधित प्राचार्य, ————————————————————————
10 समस्त जिला कोषालय अधिकारी, (छ.ग.)

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

11 आदेश फोल्डर।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग